



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:-23/09/2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त वारिस उर्फ लोटा को एनडीपीएस के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 01 वर्ष की सजा व कुल- 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 215/2023 धारा- 8/22 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त वारिस उर्फ लोटा पुत्र अनवर निवासी कन्हई सराय, थाना लोहता, जनपद वाराणसी को थाना-सिगरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 23/09/2024 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में 01 वर्ष की सजा व कुल 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी